सेमीकंडक्टर इकाई लगाने पर स्टांप व निबंधन शुल्क में शत प्रतिशत छूट

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ : प्रदेश में सेमीकंडक्टर की यूनिट लगाने के लिए उद्योगपतियों को भूमि खरीद पर स्टांप एवं निबंधन शुल्क में शत प्रतिशत की छूट मिलेगी। सोमवार को स्टांप एवं पंजीकरण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी।

यह छूट सेमीकंडक्टर इकाईयों (सिलिकान सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब्रीकेशन इकाई (फैब), कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकान फोटोनिक्स, (एसआइपीएच) सेंसर्स (एमईएमएस सहित) फैब, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब, सेमीकंडक्टर असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेम्बली और टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा की स्थापना के लिए भूमि के क्रय/पट्टे पर शत प्रतिशत मिलेगी।

प्रमुख सचिव अमित गुप्ता की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इलेक्ट्रानिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) की स्थापना के लिए भूमि खरीदने व पट्टा के लिए स्टांप शुल्क में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। ईएमसी/ईएसडीएम पार्क की स्थापना के लिए भी सरकार स्टांप एवं निबंधन शुल्क में शत प्रतिशत छूट प्रदान करेगी।